न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 29/15 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2015/00191

उनवान

1. विजय सिंह पुत्र श्री राम सिंह, जाति जाट निवासी नगला खारी, तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)

.....अपीलांट।

बनाम

1. जीत सिंह] पिसरान श्री राम सिंह जाति जाट निवासी नगला खारी तहसील व जिला
2. श्याम सिंह] मथुरा (उ.प्र.)

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दि0 23.04.2015 मि.नं. 49/14 उनवानी विजय सिंह बनाम जीत सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री जितेन्द्र सिंह अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–09.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 23.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी सायल एवं गैर सायल की पैत्रिक आराजी है, जो विरासत से निस्फ भाग प्राप्त हुयी है। विवादित आराजी निस्फ भाग पर गैर सायल के नाम इन्द्राजात खिलाफ रिकार्ड एवं खिलाफ मौका दर्ज चले आ रहे हैं। सायल गैर सायलान के साथ मृतक राम सिंह का विधिक वारिस पुत्र है। जिसका उक्त समस्त आराजी में राम सिंह के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्सा के निस्फ भाग पर 1/3 भाग का हिस्सेदार है। किन्तु गैर सायलान ने साज कर मृतक राम सिंह की खातेदारी के खाता संख्या 174 पर गैर सायल संख्या 1 तथा खाता संख्या 175 पर गैर सायल संख्या 02 के नाम इन्द्राजात दर्ज करा लिये हैं तथा एक खाता संख्या 175 पर गैर सायल संख्या 02 के नाम इन्द्राजात दर्ज करा लिये हैं तथा एक खाता संख्या 173 अभी भी मृतक के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि राम सिंह की मृत्यु चालिसो वर्ष पूर्व हो चुकी है। सायल मनवट के अनुसार 1/3 भाग पर निस्फ पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। सायल ने जब गैर सायल से उक्त इन्द्राजो को दुरूस्त कराने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। उभयपक्षकारान आपस में खास भाई हैं। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। विवादित आराजी राम सिंह की मृत्यु पश्चात् राजस्व रिकार्ड में जीत सिंह, श्याम सिंह तथा मृतक राम सिंह के नाम दर्ज हो रही है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 ने अपने नाम गलत रूप से दर्ज करा लिये हैं। विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु एक रिकार्डेड खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर कहीं भी बतौर खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं है। विवादित आराजी के निस्फ भाग पर रैस्पो0 एवं निस्फ भाग पर मृतक राम सिंह के इन्द्राजात हैं। विवादित आराजी बाबत् अपीलाण्ट के स्वत्व मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य उपरान्त तय होने शेष हैं। फिलहाल हम एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 23.04.2015 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.1.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर